

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0

-:वादी:-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. पुखाराम पुत्र भभूतराम
जाति मेघवाल उम्र 45
वर्ष निवासी राबडियावास
तहसील जैतारण जिला
ब्यावर राजस्थान

1. बिरजुडी पत्नी सीताराम जाति भाम्बी
निवासी राबडियावास तहसील जैतारण
जिला ब्यावर।
2. ग्यारसी पत्नी लाबुराम जाति भाम्बी
निवासी लिखमणिया तहसील जैतारण
जिला ब्यावर राजस्थान।
3. कचुडीदेवी पत्नी घेवर जाति भाम्बी
निवासी रतनगढ तहसील पीसांगन जिला
अजमेर राजस्थान
4. रतनाराम पुत्र रावतराम जाति भाम्बी
निवासी राबडियावास तहसील जैतारण
जिला ब्यावर राजस्थान।
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी
जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

मु0न0 :रा0वा0स0- 62/2024

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि 848 रकबा 3.5208 हेक्टेयर किस्म बरानी अब्बल की आई हुई है के भू अभिलेख में प्रविष्टि 'इग्यारसी देवी पत्नि लाबूराम हिस्सा 1/4, कचुडीदेवी पत्नि घेवर हिस्सा 1/4' अंकित है, के स्थान पर 'इग्यारसी देवी पत्नि लाबूराम हिस्सा 29/128, कचुडीदेवी पत्नि घेवर हिस्सा 29/128, पुखाराम पुत्र भभूतराम जाति मेघवाल निवासी राबडियावास हिस्सा 3/64' दर्ज करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार जैतारण उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29.04.2026 को जारी किया गया।

मोहर





सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	9.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	15.00		मिजान:-	1.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।




सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर, जिला-ब्याबर